रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156] नई दिल्ली शनिवार मार्च 18 1972/फाल्गुन 28 1893

No. 156] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18, 1972/PHALGUNA 28, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March 1972

S.O. 210(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, after entry (26—A), the following entry shall be inserted, namely:—

"(26—B) in the case of sanctions relating to the Department of Science and Technology, in respect of payment of grants to scientific societies, by the Principal Scientific Officer in that Department; or".

[No. F. 3/2/72-Public I.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1972

का० आ० 210(अ)—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियम, 1972 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 के नियम 3 में, (26—क) अधिष्ठित के पश्चात् निम्नलिखित अधिष्ठित अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2—ख) वैज्ञानिक सोसाइटियों के अनुदानों के संबंध में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मजरियों के मामले में, उस विभाग के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा या"।

[सं० फा० 3/2/72—पब्लिक—1]

ए० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972